



मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
Headquarters, Employees' State Insurance Corporation  
(आई एस ओ 9001-2000 प्रमाणित)  
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002  
Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002



845  
19/4

चिन्ता से मुक्ति

[www.esic.nic.in](http://www.esic.nic.in)

संख्या ए-49/11/7/96 हिंदी


दिनांक : 16 अप्रैल, 2012

### आदेश

विषय: सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए अधिसूचित कार्यालय की कुछ शाखाओं/अनुभागों को विनिर्दिष्ट करना ।

राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) के अन्तर्गत महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने आदेश दिए हैं कि क.रा.बी. निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, बददी की सामान्य शाखा में पदस्थ ऐसे सभी कर्मचारी जिन्हें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, इस आदेश के जारी होने की तारीख से टिप्पण, प्रारूपण और अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए कार्यालय के कामकाज में केवल हिंदी का प्रयोग करेंगे ।

तथापि जहाँ उक्त नियमों का किसी विधि के अधीन किसी अन्य भाषा का प्रयोग करना अपेक्षित है वहाँ अन्य भाषा का उक्त कार्यालय के सरकारी कामकाज में प्रयोग किया जा सकेगा ।

  
(डॉ. पन्ना प्रसाद)  
संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

सेवा में

क्षेत्रीय निदेशक, क.रा.बी.निगम, बददी।

प्रतिलिपि:-

- 1 सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, खान मार्केट, नई दिल्ली ।
- 2 सभी क्षेत्रीय निदेशक ।
- 3 सभी प्रभारी निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक, उप क्षेत्रीय कार्यालय,
- 4 निदेशक (चि.) दिल्ली/निदेशक, क.रा.बी.अस्पताल, नोएडा ।
- 5 सभी वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त/राज्य चिकित्सा आयुक्त ।
- 6 सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली ।
- 7 क.रा.बी. निगम की वेबसाइट में डालने हेतु ।